प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 9 जनवरी, 2014

विषय श्री अशोक कुमार राठौर, कनिष्ठ लिपिक, सम्बद्ध राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को स्वयं के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3149/एससीडीआरसी/अधि 58/05, दिनांक 28.11.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में उक्त पत्र के साथ संलग्न समस्त अभिलेख/विवरण मूल रूप में संलग्न कर वापस करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिसूचना संख्या-2275/5-6-11-1082-87, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के भाग-6 प्रकीर्ण के प्रस्तर-23 उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में श्री अशोक कुमार राठौर, कनिष्ठ लिपिक, सम्बद्ध राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वयं के इलाज पर प्रस्तुत किये गये चिकित्सकीय दावे की प्रतिपूर्ति हेतु विलम्ब को एतद्द्वारा मर्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया प्रस्तुत दावे का नियमावली के प्राविधानों के तहत सम्यक परीक्षणोपरान्त प्रतिपूर्ति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-12/सीपी 449 (1)/84-2-2013 तद् दिनांक

प्रतिलिपि - कोषाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in